

# समाहरणालय, मधुबनी ।

(जिला शहरी विकास अभिकरण)

## स्वीकृत्यादेश

15

मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, अभियंत्रण कोषांग, डूडा, मधुबनी द्वारा प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

सभी राशि लाख में।

क्रमांक	प्रबंध क्र नाम	योजना संख्या	योजना का नाम	कार्यकारी एजेंसी का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि लाख में	विमुक्त की जाने वाली राशि लाख में
1	झंझारपुर	10/2009-'10	नगर पंचायत झंझारपुर वार्ड नं0-13 में पी0डब्लू0डी0 सड़क पंचलाल चौक से रामेश्वर यादव घर होते हुए हरिश्चन्द्र भंडारी के घर एवं रामेश्वर यादव के घर से मस्जिद के दक्षिण पथ में मिलान बिन्दु तक पी0सी0सी0 एवं नाला निर्माण	कार्यपालक अभियंता, अभियंत्रण कोषांग, डूडा, मधुबनी	7.235	3.617
					कुल 7.235	3.617

रुपये 10639955 रुपये 3,617.00=० विमुक्त की जाने वाली राशि मो0 तीन लाख एकसठ हजार सात सौ रु0 मात्र

कैश्युक रेंच्टु रेंजी के 10/प्र/० की दर्ज किया गया।

योजना कार्यान्वयन की शर्तें →

रु 530

- 1 योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास कार्यक्रम की मार्गदर्शका के अनुरूप प्राक्कलन में विर्तिदिष्ट विशिष्टियों के अनुरूप विभागीय रूप से निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 2 योजना में गुणवत्ता का हास किसी की परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इसके लिए संवेदक / प्रभारी अभियंता / अभियंता समूह में जिम्मेवार होंगे।
- 3 बिहार सरकार के संकल्प संख्या 2375, दिनांक : 12/05/08 की कंडिका 2.6 में गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। संबंधित अभियंता / डूडा के प्रभारी इस आलोक में गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे।
- 4 लेखा संधारण करने वाले चार्टर्ड एकाउण्टेंट 3-3 माह पर इसका लेखा-जोखा लेंगे और प्रत्येक ३ माह पर अद्योहस्ताक्षरी को स्थिति से अवगत करायेंगे।
- 5 योजना के कार्यस्थल पर संवेदक सहित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के नाम का उल्लेख सूचना पट पर कियाजाय।
- 6 योजना का तकनीकी पर्यवेक्षण कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधुबनी स्वयं करेंगे ताकि कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप सुनिश्चित की जा सके।
- 7 योजना प्रारंभ करने के पहले, निर्माण के दौरान एवं योजना पूर्ण हाने के पश्चात PHOTOGRAPHY / VIDEOGRAPHY निश्चित रूप से करार्या जाए एवं Photography की एक प्रति संबंधित योजना अभिलेख में रखी जाय एवं उसकी एक-एक प्रति प्रभारी पदाधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधुबनी को भी भेजी जाय।

Recd. Ch. No. 6597554  
10.4.11 F.R. 3617000  
Parikar

- ५ योजना न कार्य का भाषा, संबाधत करनाय आभियंता प्रत्यक्त तान दिन पर लग तथा सहायक अभियंता एवं कार्यकारी एजेंसी नियमित रूप से योजना का निरीक्षण करेंगे। योजना स्थल पर निरीक्षण पंजी रखना अनिवार्य होगा। जिसमें समय-समय पर निरीक्षी पदाधिकारी आवश्यक प्रविशिष्टि की जायेगी।
- १० योजना में स्थानीय मजदूरों से ही कार्य कराया जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि उन्हें न्यूनतम मजदूर का भुगतान निश्चित रूप से हो तथा उनको भुगतान की गई मजदूरी की प्रविष्टि उनके पारिवारिक पंजीय कार्ड में निश्चित रूप से की जाय।
- ११ कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित कर लें कि विगत तीन वर्षों में इस योजना में कोई कार्य नहीं हुआ है साथ ही किसी अन्य मद से योजना स्वीकृत अथवा निर्माणाधीन नहीं है।
- १२ योजना अभिलेख के साथ-साथ मस्टर रॉल एवं अभिश्रव का संधारण अनिवार्य होगा तथा कनीय अभियंता द्वारा सत्यापित होगा।
- १३ योजना के प्रावक्तव्य का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर योजना के कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है तो इसके लिए संबंधित कार्यकारी एजेंसी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। यदि योजना को पूर्ण करने हेतु प्रावक्तव्य को पुनरीक्षित किया जाता है तो पुनरीक्षण के फलस्वरूप बढ़ी हुई राशि की वसूली संबंधित कार्यकारी एजेंसी से की जायेगी।
- १४ योजना विशेष के लिए आवंटित की गई राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में अन्य योजना के लिए नहीं की जाय।
- १५ योजना स्थल पर योजना का साईन बोर्ड जिसमें योजना का नाम, योजना संख्या, प्रावक्तव्य राशि, अभिकर्ता का नाम, कनीय अभियंता का नाम, मजदूरी दर, एवं योजना पूर्ण करने की तारीख स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा। स्थल पर निरीक्षण पंजी रखी जाए।
- १६ योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पहली तारीख को निश्चित रूप से भेजी जाएगी।
- १७ निर्धारित समय सीमा के अंदर योजना को पूर्ण कर कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर अभिलेख बंद करते हुए पूर्णता सह उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से भेजी जाए।

११/२/१०

प्रभारी पदाधिकारी

उपायिकारी अधिकारी  
उपायिकारी अधिकारी

जिला पदाधिकारी,  
मधुबनी।

झापांक : ५३ / जिला शहरी विकास अभियंता, मधुबनी दिनांक : १४/२/१० /०२/२०१०

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि उपायिकारी एजेंसी के पदनाम से निर्गत करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, अभियन्त्रण कोषांग, झूड़ा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

११/२/१०

प्रभारी पदाधिकारी

उपायिकारी अधिकारी  
उपायिकारी अधिकारी

जिला पदाधिकारी,  
मधुबनी।